उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 3 | 1-15 फरवरी 2022 | ₹ 20/-

अहमदाबाद बम धमाकों के दोषी 38 आतंकियों को फांसी की सजा

- हिजाब पर बढ़ता विवाद
- इस्लाम के खिलाफ फ्रांस का मोर्चा
- अमेरिका द्वारा आईएसआईएस के प्रमुख को मारने का दावा
- दरगाह की भूमि का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अहमदाबाद बम धमाकों के दोषी 38 आतंकियों को फांसी की सजा 04
हिजाब पर बढ़ता विवाद 05
धर्म संसद पर सरसंघचालक के बयान की प्रतिक्रिया 08
असदुद्दीन ओवैसी पर हमला 11
अल्पसंख्यक मंत्रालय के वार्षिक बजट पर विवाद 13

विश्व

इस्लाम के खिलाफ फ्रांस का मोर्चा 15
इंडोनेशिया का फ्रांस से राफेल खरीद का समझौता 16
बलूचिस्तान में विद्रोहियों का पाकिस्तानी सैनिक अड्डे पर बड़ा हमला 17
अफगानिस्तान को उसकी जमा पूंजी देने से अमेरिका का इंकार 18
पाकिस्तान में भीड़ द्वारा एक और व्यक्ति की हत्या 20

पश्चिम एशिया

अमेरिका द्वारा आईएसआईएस के प्रमुख को मारने का दावा 21
अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया 23
सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हूतियों का हमला 25
इराक में न्यायाधीशों का कत्लेआम 26
बहरीन का इजरायल के साथ सुरक्षा समझौता 27

अन्य

दरगाह की 60 हजार करोड़ की भूमि का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में 28
उमर गौतम की जमानत मंजूर 29
सद्दाम के 100 से अधिक महलों की हालत 29
बहरीन में मंदिर बनाने की घोषणा 29
कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ प्रचार 30
मक्का में 80 लाख आब-ए-ज़मज़म की बोतलें वितरित 30

सारांश

अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मुकदमे का फैसला 14 वर्षों के बाद आखिरकार सुना दिया गया है, जिसमें 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अजीब बात है कि इस फैसले की मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समाचारपत्रों ने परोक्ष रूप से आलोचना करनी शुरू कर दी है और यह आरोप लगाया है कि अदालत का यह फैसला अप्रत्याशित और सख्त है। जमीयत उलेमा शुरू से ही आतंकवादियों को कानून के चंगुल से बचाने के लिए प्रयत्नशील है। इस संगठन की ओर से देश के सबसे महंगे वकीलों की एक फौज खड़ी की गई है जो कि कानून की जटिलताओं का लाभ उठाकर अब तक 500 से अधिक आतंकवादियों को कानून के पंजे से छुड़ा चुकी है। खास बात यह है कि जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके परिवारजनों को हर महोने यह मुस्लिम संगठन आर्थिक सहायता प्रदान करता आ रहा है।

कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध का जो विवाद शुरू हुआ था उसे मुस्लिम संगठन और उनके समाचारपत्र राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस्लामिक देश और अमेरिका जैसा राष्ट्र भी उनके समर्थन में खुलकर मैदान में आ गए हैं। हालांकि हिजाब और बुर्के पर विश्व के 21 देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, जिनमें तुर्की जैसा इस्लामिक देश और एक दर्जन से अधिक यूरोपीय देश भी शामिल हैं। मगर आज तक उनके खिलाफ मंह खोलने की हिम्मत अमेरिका या किसी भी मुस्लिम देश को नहीं हुई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का यह कथन तर्कपूर्ण और तथ्यों पर आधारित है कि किसी भी विदेशी सरकार को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

पश्चिम एशिया मं ईरान और इजरायल के बीच दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों ने ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम पर जो रोक लगाने का प्रयास किया था वह सफल नहीं हुआ। हाल ही में तेहरान में ईरान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 'खैबर शिकन' नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने इस बात पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि ईरान उनके देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है।

अमेरिका ने सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात आदि अरब देशों के सहयोग से ईरान के खिलाफ जो मोर्चा बनाया था उसके खिलाफ ईरान द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों ने परोक्ष रूप से युद्ध छेड़ दिया है। अभी तक हूती सऊदी अरब को ही अपना निशाना बनाया करते थे। मगर अब उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को भी अपने मिसाइल और ड्रोन का निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी को मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के इशारे पर इराक सरकार ने आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है।

यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। फ्रांस में क्योंकि सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है इसलिए वह मुस्लिम आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार है। यही कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लामिक जिहादी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कठोर कानूनी कदम उठाए हैं। फ्रांस ने मुसलमान प्रवासियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए फ्रांस के गृह मंत्रालय ने एक विशेष संगठन भी बनाया है, जिसका लक्ष्य इस्लाम को आतंकवाद से मुक्त करके उसे सेक्युलर स्वरूप प्रदान करना है।

राष्ट्रीय

अहमदाबाद बम धमाकों के दोषी 38 आतंकियों को फांसी की सजा

इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार अहमदाबाद बम धमाका केस में विशेष अदालत ने एक साथ 38 व्यक्तियों को फांसो और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। समाचारपत्र के अनुसार विशेष अदालत में जमीयत उलेमा द्वारा नियुक्त वकीलों की एक टीम ने कई दिनों तक इन आरोपियों को सजा देने के बारे में बहस की थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि इन सभी आरोपियों को अदालत बरी कर देगी और अगर उन्हें दोषी ठहराया जाएगा तो भी जेल में काफी अवधि काटने के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। परंतु अदालत ने इस आशा के विपरीत अपने फैसले में एक साथ 38 आरोपियों को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है। अदालत ने इनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत फांसी की सजा सुनाई है और 11 अन्य आरोपियों को उम्रकैद देते हुए कहा है कि जब तक वे जिंदा रहेंगे तब तक जेल में ही रहेंगे। 78 आरोपियों में से एक को पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिया था। पुलिस का यह दावा है कि आरोपियों का संबंध आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से है। यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी। यह सीरियल बम धमाका 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुआ था, जिनमें 56 लोग मारे गए थे।

इस अदालती फैसल पर टिप्पणी करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। हम इन आरोपियों को उच्च न्यायालय से न्याय दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाएंगे। इनको फांसी से बचाने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सेवाएं जमीयत उलेमा प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई मामलों में जिन लोगों को निचली अदालतों ने सजाएं दी थीं उन्हें उच्च न्यायालय ने साफ बरी कर दिया था। उन्होंने इस संदर्भ में अक्षरधाम पर हमले का उदाहरण

दिया, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कयूम सहित तीन लोगों को फांसी और चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बरकरार रखा था। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इन सबको बरी कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम एक भी आरोपी को फांसी नहीं होने देंगे।

इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए **रोजनामा सहारा** (19 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार इतने आरोपियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इन धमाकों में मरने वालों के परिवारजनों को एक-एक लाख, गंभीर रूप से घायल होने वालों को 50 हजार और मामूली रूप से घायल होने वालों को 25-25 हजार रुपया मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यह वर्ग अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है। गुजरात में 2002 में जो सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगे हुए थे उनके बारे में भी दुनिया भर की यही राय है कि यह सरकार के संरक्षण में कराए गए थे। मुसलमानों के खिलाफ इन सुनियोजित दंगों की वजह से बदले की भावना और दंगाईयों के खिलाफ नफरत पैदा होना स्वाभाविक है। इसमं कोई शक नहीं कि आतंकवाद चाहे वह किसी भी तरह का हो निंदनीय है। अहमदाबाद बम कांड में जिसकी जितनी भी सख्त सजा हो कम है। अदालत ने इस मामले में भले ही देर से फैसला सुनाया हो मगर यह आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 फरवरी) ने अपने संपादकीय में इन धमाकों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है और कहा है कि पुलिस का रूख ऐसे मामलों में पक्षपातपूर्ण होता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने योगी सरकार को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को वसूली के लिए भेजे गए सभी नोटिसों को वापस लेने और उनसे वसूल किए गए जुर्माने को भी वापस लेने का निर्देश दिया है। समाचारपत्र ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि जमीयत उलेमा इन आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए हर अदालत में जाएगी। समाचारपत्र ने कहा है कि पुलिस और न्यायपालिका में फौरन ऐसे सुधार किए जाने चाहिए ताकि वे सरकारों के तुष्टीकरण या नाराजगी की परवाह किए बिना न्यायपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्य को निभा सकें।

हिजाब पर बढ़ता विवाद

दो महीने पूर्व कर्नाटक के एक छोटे से नगर उडुपी के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का जो विवाद शुरू हुआ था उसने राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया है। अब यह देश के सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है। अजीब बात यह है कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछालने का कुछ देश प्रयास कर रहे हैं।

इंकलाब (13 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने भी इस प्रतिबंध पर चिंता प्रकट करते हुए कर्नाटक सरकार को अपनी आलोचना का निशाना बनाया है। अमेरिकी सरकार में अंतरराष्ट्रीय

धार्मिक स्वतंत्रता के राजदूत राशिद हुसैन ने कहा है कि कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों को अपना मजहबी लिबास पहनने की पूरी स्वतंत्रता होती है और कर्नाटक में इसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध का लक्ष्य धार्मिक आजादी का उल्लंघन, महिलाओं और लड़कियों को बदनाम करना तथा उन्हें हाशिए पर पहुंचाना है। गौरतलब है कि राशिद हुसैन दुनिया भर में धार्मिक आजादी पर अमेरिकी विदेश मंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। इससे पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भो भारतीय राजदूत को बुलाकर उनका ध्यान कर्नाटक में लगाए गए प्रतिबंधों की ओर दिलाया था और उसे धार्मिक स्वतंत्रता क हनन की संज्ञा दी थी।

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध की मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने घोर निंदा की है और धर्म संसदों में दिए गए उत्तेजनात्मक भाषणों के लिए भारत सरकार को अपना निशाना बनाया है। गौरतलब है कि इस संगठन के विश्व के 57 मुस्लिम देश सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जेद्दा में है। इस संगठन ने एक वक्तव्य में भारत में मुसलमानों के साथ किए जा रहे दुव्यवहार पर चिंता प्रकट करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व भर के संगठनों से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस संगठन ने मुसलमानों के खिलाफ चल रहे अभियान, सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को परेशान किए जाने और हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध की निंदा करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

इस मांग पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का किसी भी विदेशी को कोई अधिकार नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोग प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं और भारत को नसीहत देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप करने

का किसी को अधिकार नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं।

जहां तक उर्दू समाचारपत्रों का संबंध है उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने के लिए सुनियोजित अभियान छेड़ दिया है। कोई भी उर्दू समाचारपत्र ऐसा नहीं है जो अपने प्रत्येक दिन के अंक में हिजाब के पक्ष में होने वाले मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शनों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित न कर रहा हो। इस प्रतिबंध को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए प्रत्येक समाचारपत्र निरंतर संपादकीय लिख रहा है। शायद इन समाचारपत्रों का लक्ष्य पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों में इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्वरूप देकर मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करना है। इस विवाद में अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि मुस्लिम संस्थाओं के छात्र एवं छात्राएं भी मैदान में कूद पड़ी हैं। विभिन्न मुस्लिम समाचारपत्रों ने इसे इस्लाम की विशिष्ट पहचान को समाप्त करने के अभियान की संज्ञा दी है। खास बात यह है कि इस विवाद में लगभग सभी मुस्लिम संगठन भी मैदान में कूद पड़े हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, केरल आदि राज्यों में विशेष प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। इसके संबंध में उर्दू मीडिया में निरंतर समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को इस्लाम के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की संज्ञा देते हुए कहा है कि मुसलमानों को संविधान में दिए गए उनके संवैधानिक अधिकारों से सरकार वंचित करने का प्रयास कर रही है और इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ा जाएगा। उनके स्वर में स्वर मिलाने वालों में इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयत उलेमा, मुस्लिम मजलिस मुशावरात, शिया काउंसिल, दारूल उलूम देवबंद, जमात-ए-इस्लामी, वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कासिम रसूल इल्यास भी सक्रिय हो गए हैं।

अखबार-ए-मशरिक (13 फरवरी) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस प्रतिबंध की निंदा करते हुए इसे भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन बताया है। मुस्लिम संगठनों ने देश की विभिन्न अदालतों में इस पाबंदी के खिलाफ याचिकाएं भी दायर की हैं जो कि विचाराधीन हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 फरवरी) के अनुसार देश भर में हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। इस्लामिक जगत भी खुलकर इस प्रतिबंध की निंदा कर रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने अपने 12 फरवरी के संपादकीय में आरोप लगाया है कि पांच राज्यों के चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा इस मामले को उठा रही है। समाचारपत्र ने मुस्लिम छात्रा मुस्कान द्वारा जय श्रीराम के नारों से भयभीत होने की बजाय अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने की प्रशंसा की है और कहा है कि जमीयत उलेमा ने उसे पांच लाख का इनाम देकर सही कदम उठाया है।

हमारा समाज ने 13 फरवरी के संपादकीय में कहा है कि भाजपा इसलिए इस मुद्दे को उछाल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसे अपनी हार साफ नजर आ रही है। इसलिए वह इस बहाने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। हैरानी की बात यह है कि केरल के राज्यपाल मुसलमान होते हुए भी इस प्रतिबंध का समर्थन कर रहे हैं।

इत्तेमाद (16 फरवरी) के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और छात्र एवं छात्राओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ड्रेस कोड लागू करने की घोषणा करते हुए इस मामले को धार्मिक रंग न देने की अपील की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 फरवरी) ने अपने संपादकीय में इस बात पर हरानी प्रकट की है कि

कर्नाटक उच्च न्यायायल इस मामले को लंबा खींच रही है और उसने इस प्रतिबंध के बारे में स्थगन आदेश देने से इंकार कर दिया है।

सालार (5 फरवरी) के अनुसार कर्नाटक में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर हिजाब पहने छात्राओं को कॉलेजों में नहीं घुसने दिया गया है।

सालार (7 फरवरी) के अनुसार कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया है कि हिंदुत्ववादी सरकार के दबाव के कारण विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधक बोर्ड हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर मुसलमान लड़कियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

सालार (6 फरवरी) के अनुसार कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री तनवीर सैत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर उनसे मांग की है कि वे हिजाब के विवाद में तुरंत हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आरएसएस के इशारे पर यह प्रतिबंध लगाया है।

सियासत (12 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हैदराबाद में यह घोषणा की है कि उनकी संस्था हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को सवाच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

अखबार-ए-मशरिक (7 फरवरी) के अनुसार राहुल गांधी ने हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना करते हुए उसे संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के हनन की संज्ञा दी है।

सियासत (10 फरवरी) के अनुसार तेलंगाना के गृहमंत्री मोहम्मद महमूद अली ने कर्नाटक और देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को संविधान के खिलाफ बताया है और उसे वापस लेने की मांग की है।

अवधनामा (8 फरवरी) के अनुसार मजलिस उलेमा-ए-हिंद क महामंत्री मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने हिजाब पर प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक बताया है और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। ■

धर्म संसद पर सरसंघचालक के बयान की प्रतिक्रिया

देश के विभिन्न भागों में होने वाली धर्म संसदों की गतिविधियों की आड़ लेकर उर्दू समाचारपत्र गत दो महीनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे संबंधित संगठनों के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चला रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने इस पर अपना विचार रखा है।

इंकलाब (10 फरवरी) ने अपने संपादकीय में डॉ. मोहन भागवत के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह का भाषण देना संघ के लिए कोई नई बात नहीं है। पल्ला झाड़ लेना संघ की पुरानी परंपरा है। अगर वे ऐसी उत्तेजनात्मक गतिविधियों के समर्थक नहीं हैं तो उनकी ओर से दो तीन मुद्दों पर जवाब आना चाहिए। पहला सवाल यह है कि जो खतरनाक बयान इन धर्म संसदों में दिए गए उनसे संबंधित यह स्पष्टीकरण इतनी देर से क्यों आया? दूसरा सवाल यह है कि अगर संघ इससे सहमत नहीं है तो उसने इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा क्यों नहीं की है? कत्लेआम पर उकसाने की कोशिश तो कोई मामूली घटना तो थी नहीं जो कि नजरअंदाज कर दिया जाता। यह मामला सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा। बल्कि अन्य देशों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। यहां तक की विदेशी मीडिया ने भी इसका नोटिस लिया। तब क्या कारण था कि आरएसएस चुप रहा? तीसरा प्रश्न यह है कि भूतकाल में आरएसएस ने ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई? अगर

आरएसएस ने पहले ही ऐसे बयानों का नोटिस ले लिया होता तो वे ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करते। ऐसा मालूम होता है कि पल्ला झाड़ना आरएसएस की पुरानी आदत है। इसने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोड़से के साथ अपने संबंधों से भी पल्ला झाड़ लिया था। हालांकि तथ्य इसके विपरीत हैं। पल्ला झाड़ने के ऐसे पचासों उदाहरण मिल जाएंगे। देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए सरकार ने जो समितियां गठित की थीं उनमें आरएसएस और उसके कैडर का भी उल्लेख किया गया था। मगर संघ ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इन दंगों में लिप्त लोगों का उससे कोई संबंध था। इससे पूर्व भी सैकड़ों नफरती भाषण और बयान आरएसएस के सहायक संगठनों के नेताओं ने दिए थे। मगर उनको हतोत्साहित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर मोहन भागवत का दावा है कि हिंदुत्व को मानन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे भाषणों से सहमति व्यक्त नहीं करेगा तो भूतकाल में ऐसे भाषणों के बारे में संघ ने क्यों मौन धारण किए रखा? भाजपा के नेता भी इन मुद्दों पर चुप रहे। यहां तक कि ऐसे कई बयान भाजपा नेताओं के सामने दिए गए मगर उन्होंने उफ्फ तक नहीं की। अब आरएसएस यह तो नहीं कह सकता कि भाजपा से उसका कोई संबंध नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 12 फरवरी के अपने संपादकीय में मोहन भागवत के भाषण का स्वागत करते हुए कहा है कि आरएसएस प्रमुख ने हरिद्वार और अन्य स्थानों पर एक विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ दिए गए घृणापूर्वक भाषणों से स्वयं को अलग कर लिया है और कहा है कि हिंदुत्व हमें दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत नहीं सिखाता है। हालांकि मोहन भागवत तब तक खामोश रहे जब तक विदेशों और खास तौर पर इंग्लैंड और अमेरिका में इन घृणात्मक भाषणों के खिलाफ आवाज नहीं उठी। वहां स यह मांग की गई कि इन धर्म संसदों के आयोजन करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए। पश्चिमी देशों में आरएसएस भी अपना प्रभाव रखती है और करोड़ों डॉलर का चंदा आरएसएस को उन्हीं देशों से आता है। आरएसएस को अपने आप को इन नफरतपूर्ण भाषणों से अलग करना ही था। इसलिए मोहन भागत को यह सफाई पेश करनी पड़ी। हालांकि दुनिया भर में मशहूर है कि भारत में जो भी संगठन धार्मिक नफरत को हवा देते हैं उन सभी के तार आरएसएस से जुड़े होते हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तराखंड सहित देश के पांच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई वह भी तब की गई जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है उससे तो यह आशा ही नहीं को जा सकती थी कि वह अपनी ओर से इन भगवाधारियों की गिरफ्तारी का आदेश दे। पूरी दुनिया के अखबारों और टीवी चैनलों द्वारा इस मामले को उठाने से भारत सरकार की बदनामी हुई। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार के वकील सर्वोच्च न्यायालय में इन

नफरती भाषणों को देने वालों को बचाने का काम करते रहे। यह मामला इन चुनावों में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। इस कारण आरएसएस के सरसंघचालक को बाहर आना पड़ा और उन्हें यह कहना पड़ा कि ऐसे भाषणों से हिंदुत्व का कोई लेना-देना नहीं। उनके भाषण भारत के लोगों से ज्यादा विदेशों में रह रहे हिंदुओं के लिए था, जिन्हें इस तरह के भाषणों से वहां के सामाजिक जीवन में परेशानी होती है और पाकिस्तानी लॉबी को भारतीयों पर हावी होने का अवसर मिलता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश के लोगों को गांधी जी की अहिंसा की वजह से मजबूती मिलती है। लेकिन आरएसएस और भाजपा के समर्थक संगठन सिर्फ कुछ वोटों के लिए देश को बांटने में लगे हुए हैं। हरिद्वार के धर्म संसद में भाग लेने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मोहन भागवत ने हमेशा की तरह एक बयान देकर अपनी साख को बचाने की कोशिश की है।

रोजनामा सहारा (11 फरवरी) ने अपने समूह संपादक अब्दुल मजोद निजामी का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, "मोहन भागवत के बयान का मतलब।" लेख में कहा गया है कि मोहन भागवत की बात को अगर मानें तो उनके अनुसार जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है वे सही अर्थों में हिंदू नहीं हैं। मोहन भागवत के अपने शब्द कुछ यूं हैं, 'धर्म संसद में जो भाषण दिए गए हं वे एक हिंदू के शब्दों, कार्यकलापों, दिल और दिमाग का परिचायक नहीं है। अगर मैं कभी गुस्से में कुछ कह देता हूं तो वह हिंदुत्व नहीं है। आरएसएस या हिंदुत्व का अनुसारण करने वाले ऐसी नफरती बातों में विश्वास नहीं रखते हैं।' अगर मोहन भागवत के भाषणों को ध्यान से सुनें और उनकी बातों से नतीजा निकालने की कोशिश करें तो यह साफ होगा कि सरसंघचालक ने साफ-साफ शब्दों में कुछ ऐसा नहीं कहा है, जिससे यह पता चले कि वे दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हिंदू धर्म संसद के प्रबंधकों के प्रति अपनी नराजगी व्यक्त कर रहे हैं या मुस्लिम विरोधी अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके भाषणों में सिर्फ इशारे पाए जाते हैं। अब जाहिर है कि इन बातों को सुननेवाला अपने दृष्टिकोण के अनुसार इनकी व्याख्या करेगा। यह कोई जरूरी नहीं कि आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित व्यक्ति भी उसी तरह से इसकी व्याख्या करे जिस तरह से एक आम हिंदुस्तानी जिसका प्रशिक्षण भारतीय संविधान के प्रकाश में हुआ है करेगा। ऐसी सूरत में नतीजे का जो फर्क होगा वह जाहिर है। उनके भाषण से यह अनुमान लगता है कि मोहन भागवत का लक्ष्य मुस्लिम विरोधी भाषणों पर लगाम लगाना नहीं है और भारत की सांप्रदायिक सदभ्ावना को भी बहाल करना नहीं है बल्कि हिंसा के समर्थक हिंदू धार्मिक नेताओं के उत्तेजनात्मक बयानों के कारण विश्व मीडिया में आरएसएस की जो छवि दागदार हुई है उसको बहाल करना है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इस मामले में मौन हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की निंदा नहीं की है। न ही सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले कथित आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस पूरे दृश्य से तो यही चित्र सामने उभरता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी तमाम हिंसा के समर्थक संगठनों को आरएसएस का वैचारिक समर्थन प्राप्त है और कानूनो तौर पर भी उनका संरक्षण भाजपा करती है। इसलिए उनकी उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है।

असदुद्दीन ओवैसी पर हमला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में जो हमला हुआ था उसे अधिकांश उर्दू समाचारपत्रों ने खास महत्व नहीं दिया और न ही तेलंगाना को छोड़कर अन्य राज्यों के मुसलमानों में इसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया हुई है।

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में अपनी चुनावी सभा को समाप्त करने के बाद जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पर तीन से चार गोलियां चलाई गईं। ओवैसी ने स्वयं ट्विट करके इस हमले की जानकारी दी। ओवैसी ने ट्विट में कहा कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी कार पर फायरिंग की गई। हमला करने वाले तीन से चार लोग थे। सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अल्लाह के शुक्र से हम सब सुरक्षित हैं। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक नोएडा के रहने वाले सचिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से नौ एमएम की पिस्तौल बरामद हुई है। जबकि दूसरे आरोपी शुभम ने गाजियाबाद के एक थाने में आत्मसमर्पण किया है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार और राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए।

सालार (4 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस को महत्त्वपूर्ण सुराग मिले हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 फरवरी) के अनुसार बागपत में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधीजी पर गोली चलाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि योगी बाबा अपने उस्ताद मोदी

की तरह बहुत झूठ बोलते हैं। मैं बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं इसलिए मुझ पर गोली चलाई गई है। एक ओवैसी को मारोगे तो लाखों ओवैसी पैदा होंगे।

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार ओवैसी ने लोकसभा में बड़ी भावुक भाषण देते हुए सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे घुटन की जिंदगी नहीं जी सकते। अगर मौत आनी होगी तो आ जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने छह फीट की नजदीक से मौत देखी है। अगर मैं अपनी बात संसद में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं बल्कि ए श्रेणी का नागरिक बनना है। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार पकड़े गए दोनों हमलावरों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने दावा किया कि आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि ओवैसी ने एक विशेष धर्म के बारे में जो बयान दिया था उससे वे बहुत आहत थे। इसलिए उन्होंने गोली चलाई है।

इत्तेमाद (5 फरवरी) के अनुसार ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ हैदराबाद और तेलंगाना के कई नगरों में हड़ताल रही और उन पर हुए हमले की लोगों ने निंदा की। इस हमले के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आवैसी से फोन करके उनका हाल-चाल पूछा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा है कि भाषणकर्ताओं को भी इस बात क लिए सतर्क रहना चाहिए कि वे अपनी भाषणों में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न करें। लोकतंत्र में हमें बैलेट पर विश्वास है बुलेट पर नहीं। हम चाहे उनसे वैचारिक मतभेद रखते हों लेकिन मेरी सरकार किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 फरवरी) में जफर आगा ने अपने लेख में कहा है कि इस घटना के बाद ओवैसी साहब खबरों में छा गए। लेकिन इसे क्या कहें कि ओवैसी पर मीडिया की कृपा चुनाव के दौरान या किसी ऐसे समय होती है जब बीजेपी को किसी मुस्लिम नेता पर फोकस करने को जरूरत हाती है। लेख में कहा गया है कि अक्सर ओवैसी के विरोधी उन पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है और गोदी मीडिया उसी समय ओवैसी को फोकस करता है जब बीजेपी को इनका इस्तेमाल हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ भावना भड़काने के लिए करना होता है या इनके भाषणों का इस्तेमाल मुसलमानों के मतों को विभाजित करने के लिए होता है। इसका सीधा लाभ भाजपा को होता है। जैस पिछली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में हुआ था। लेकिन यह तभी संभव है जब ओवैसी खबरों में छाए रहें। इसके लिए मीडिया को कोई खबर चाहिए। वह खबर एक हिंदू नौजवान ने ओवैसी की कार पर गोली चलाकर बनवा दी और औवेसी एवं भाजपा दोनों का काम बन गया। पता नहीं हकीकत क्या है। कौन किसकी मदद कर रहा है यह समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान ओवैसी साहब वक्त बे वक्त इसी तरह खबरों में रहेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 फरवरी) ने मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, "ओवैसी पर कातिलाना हमले का असली दोषी कौन?" लेखक का कहना है कि ओवैसी पर इस कायरतापूर्ण हमले ने इतना तो सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था की मशीनरी पूरी तरह से ठप है और चुनाव के मौके पर भी वह सिर्फ शासक दल के हितों को पूरा करने में लगी हुई है। हालांकि यह पहला अवसर नहीं है कि अतिवादी हिंदुआं ने ओवैसी को अपना निशाना बनाया हो। इससे पहले भी दिल्ली में उनके निवास स्थान पर अतिवादी हिंदू संगठनों ने हमले किए थे। यह सभी को मालूम है कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और वे उनक चुनाव अभियान का संचालन कर रहे हैं। मुसलमानों में उनका भारी स्वागत हो रहा है और वे मुस्लिम युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। इससे उन लोगों को वास्तव में परेशानी हो रही है जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतों का स्वयं को एकमात्र ठेकेदार समझते रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 6 फरवरी क अपने संपादकीय का शीर्षक है, "संसद में ओवसी बुजदिलों की तरह रोए नहीं।" शकील रसीद ने अपने विशेष संपादकीय में कहा है कि ओवैसी के राजनीतिक तौर तरीकों से मेरे कुछ मतभेद हो सकते हैं। ओवैसी पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। वे इस देश में मनु के कानून को लागू करना चाहते हैं। वे अल्पसंख्यकों को निचले दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये वह लोग हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारे लगाना हालांकि जुम है मगर इसे लागू करने के लिए नफरत का अभियान छेड़ना और किसी की हत्या करने के लिए उस पर गोली चलाना तो और भी जुर्म है। इन अपराधों के पीछे भगवा गिरोह का हाथ है। ये वह लोग हैं जिन्हें गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। अब यही देख लें। ओवैसी पर गोलो चलाने वाले जो लोग पकड़े गए हैं उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जबकि सिद्दीक कप्पन जैसे मासूम पत्रकार और उमर खालिद जैसे लोगों पर गिरफ्तारी के तुरंत बाद यूएपीए का मुकदमा लगा दिया गया था। सचिन और शुभम धर्म संसद के विषैले भाषणों स प्रभावित थे इसलिए उन्होंने ओवैसी पर गोली चलाई थी। लेकिन धर्म संसद अब भी हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं या नहीं इस पर मुझे कोई बहस नहीं करनी है। क्योंकि अब यह सच सामने आ गया है कि गोली चलाने वाले उनसे कितना नफरत करते थे। यह हमला सुनियोजित था। यह बहुत अच्छी बात है कि ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया और वे संसद में योगी आदित्यनाथ की तरह सिसक सिसककर रोए नहीं। रोने का काम बुजदिलों और जालिमों का होता है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय के वार्षिक बजट पर विवाद

हमारा समाज (2 फरवरी) के अनुसार संसद में जो वार्षिक बजट पेश किया गया है उसमें पिछड़ी जातियों और आदिवासियों क कल्याण के बजट में 13 प्रतिशत और सामाजिक न्याय व कल्याण के बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जबकि अल्पसंख्यकों के बजट में केवल 4 प्रतिशत की ही वृद्धि की गई है। हालांकि पिछड़पन में इन तीनों वर्गों की एक समान स्थिति है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने आकड़ों का हेरफेर करके यह दावा किया है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 674 करोड़ रुपये की वृद्धि अल्पसंख्यक मंत्रालय क बजट में की गई है। इस बजट में मौलाना

आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और अन्य अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान के निर्धारित फंड में भारी कटौती की गई है। पिछले वर्ष का अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 4810 करोड़ था जो 2020-21 के बजट से 219 करोड़ कम था। पिछले वर्ष मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट 90 करोड़ था। मगर इस वर्ष उसे सिर्फ एक लाख रुपये ही दिए गए हैं। क्या सरकार इस फाउंडेशन को बंद करना चाहती है? मदरसों के आधुनिकीकरण का फंड पिछले वर्ष 164 करोड़ रुपये थे जो अब घटाकर 160 करोड़ कर दिया गया। मैट्रिक तक की छात्रवृतियों के लिए सिर्फ 58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया ह। जबकि वायदा एक करोड़ का था।

पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री के. रहमान खान का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण इस मंत्रालय के बजट में दस प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए थी और बजट आठ हजार करोड का होना चाहिए था। महंगाई तेजी से बढ़ी है। मगर बजट में भारी कटौती की गई है। मोदी सरकार का अल्पसंख्यक बजट 5 हजार करोड़ से भी कम है। एक अन्य संगठन सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के विशेषज्ञ जावेद आलम का कहना है कि जहां तक पिछड़े वर्ग के उत्थान का सवाल है अल्पसंख्यकों का बजट दाल में नमक के बराबर होता है। सकल डेवलपमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं में भारी कटौती की गई है। केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक बजट का अनुपात सिर्फ 0.14 प्रतिशत है। जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी का अनुपात 21 प्रतिशत है। उन्होंने इस बजट को निराशाजनक बताया है और कहा है कि इससे साफ है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

जहां तक अल्पसंख्यकों के बजट का संबंध है उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं।

2010-11 में 2600 करोड़, 2011-12 में 2800 करोड़, 2012-13 में 3100 करोड़, 2013-14 में 3511 करोड़, 2014-15 में 3711 करोड़, 2015-16 में 3713 करोड़, 2016-17 में 3800 करोड़, 2017-18 में 4195 करोड़, 18-19 में 4700 करोड़, 2019-20 में 4700 करोड़, 2020-21 में 5019 करोड़, 2021-22 में 4810 करोड़ और 2022-23 में 5020 करोड रुपए आवंटित किया गया।

विश्व

इस्लाम के खिलाफ फ्रांस का मोर्चा

रोजनामा सहारा (7 फरवरी) के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देश में इस्लामिक उग्रवाद के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इस लक्ष्य से उन्होंने 'फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस' नामक नया संगठन बनाने की घोषणा की है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश में इस्लामिक उग्रवाद पर लगाम लगाने क लिए 2003 में स्थापित 'काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ' को भंग करके उसके स्थान पर एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि इस नए संगठन में फ्रांस के विभिन्न मस्जिदों के इमाम, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बुद्धिजीवी और व्यापारी वर्ग शामिल होंगे। इन सदस्यों का चयन फ्रांस सरकार स्वयं करेगी। सरकार के अनुसार इस संस्था के गठन का लक्ष्य इस्लाम से अतिवाद और आतंकवाद को अलग करके इसे सेक्युलरिज्म के ढांचे में ढालना होगा। फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों से यह भी आशा की जाएगी कि वे 'इस्लामी उम्माह' की बजाय फ्रांस की राष्ट्रीयता को अपनाने पर ज्यादा ध्यान दें।

गौरतलब है कि यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान इस समय फ्रांस में रह रहे हैं, जिनकी संख्या 52 लाख से लेकर 80 लाख के बीच आंकी जाती है। अभी हाल तक क्योंकि फ्रांस के कई मुस्लिम उपनिवेश थे इसलिए वहां पर रहने वाले मुसलमानों को फ्रांस की नागरिकता भी प्राप्त थी और उनके फ्रांस में प्रवेश पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त लाखों की संख्या में मुस्लिम घुसपैठिए भी फ्रांस में रह रहे हैं। गत कुछ वर्षों में फ्रांसीसी मुसलमानों का आतंकवादी घटनाओं में लिप्तता बढ़ी है। गत दो वर्षों में फ्रांस में कम-से-कम 17 ऐसी हिंसक दुर्घटनाएं हुईं, जिनके पीछे इस्लामिक अतिवादियों का हाथ पाया गया। इन घटनाओं में दो दर्जन से अधिक फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे। दो वर्ष पूर्व जब एक स्कूल के अध्यापक ने हजरत मोहम्मद

का कार्टून कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर बनाया तो उस फ्रांसीसी अध्यापक की उसी के एक 18 वर्षीय छात्र ने स्कूल में ही गर्दन काट कर हत्या कर दी। हाल ही में फ्रांस में एक दर्जन से अधिक मस्जिदों को बंद किया गया था। क्योंकि फ्रांसीसी गृह मंत्रालय ने यह दावा किया था कि ये मस्जिदें इस्लामिक आतंकवाद क प्रचार-व-प्रसार का अड्डा बनी हुई हैं। इसके साथ ही फ्रांस सरकार अपने देश में मुस्लिम प्रवासियों के प्रवेश के नियमों को भी काफी कड़ा बना चुकी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अतिवादी मुसलमान फ्रांस में प्रवेश न कर पाएं।

फ्रांसीसी समाचारपत्रों के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रों ने यह कदम देश में अप्रैल महीने में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में दक्षिणपंथी विचारधारा के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उठाए हैं। फ्रांस के दक्षिणपंथी संगठन देश में इस्लामिक अतिवाद के प्रसार का सख्त विराध कर रहे हैं। उनकी ओर से फ्रांस सरकार से यह मांग की जा रही है कि वह देश में मुस्लिम नागरिकों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए। दूसरी ओर फ्रांस के मुस्लिम नेताओं ने यह दावा किया है कि फ्रांस में इस्लामोफोबिया को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वे सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। उनका कहना है कि अतिवाद हालांकि सभी कौमों में पाया जाता है मगर मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर घृणा का वातावरण पैदा किया जा रहा है। यही कारण है कि फ्रांस में सबसे पहले हिजाब और बुर्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ■

इंडोनेशिया का फ्रांस से राफेल खरीद का समझौता

इंकलाब (12 फरवरी) के अनुसार फ्रांस ने इंडोनेशिया को 42 राफेल युद्ध विमान बेचने की घोषणा की है। इस समझौते के अनुसार यह विमान आठ अरब डॉलर में बेचे जाएंगे। इन विमानों के अतिरिक्त फ्रांस इंडोनेशिया को अन्य प्रकार का अस्त्र-शस्त्र भी भारी मात्रा में सप्लाई कर रहा है। फ्रांस रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार फ्रांस पनडुब्बियों और अन्य अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने के बारे में भी इंडोनेशिया से समझौता कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया सबसे अधिक फ्रांस से अस्त्र-शस्त्र खरीदने

वाला देश होगा।

यह समझौता ऐस समय में हो रहा है जब अमेरिका ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के साथ रक्षा संबंधी एक नया गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने फ्रांस के रक्षामंत्री से भंट करने के बाद कहा कि हम 42 राफल विमान फ्रांस से प्राप्त कर रहे हैं। जबकि फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे कूटनीतिक संबंध हमार रक्षा संबंधी हितों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस एशियाई क्षेत्र में भारत के बाद इंडोनेशिया ऐसा देश है जो फ्रांस के बने हुए रक्षा विमानों की खरीदारी कर रहा है। इससे इन विमानों के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने का हमें मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पहले चरण में छह राफेल विमान अगले महीने इंडोनेशिया को सौंपे जाएंगे। जबकि शेष 36 विमान विभिन्न चरणों में सप्लाई किए जाएंगे। ये सभी विमान एक से डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर ही इंडोनेशिया को सप्लाई कर दिए जाएंगे।

बलूचिस्तान में विद्रोहियों का पाकिस्तानी सैनिक अड्डे पर बड़ा हमला

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के एक राडार स्टेशन पर जबर्दस्त हमला किया, जिसमें अनेक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूच लिब्रेशन आर्मी के प्रवक्ता का दावा है कि इस हमले में कम-से-कम 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिसमें एक मेजर जनरल भी शामिल है। जबकि पाकिस्तानी सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 45 है।

इस घटना की गंभीरता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि **डॉन** (11 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बल्चिस्तान में उस

पाकिस्तानी सैनिक अड्डे का दौरा किया जिस पर बलूच लिब्रेशन आर्मी ने हमला किया था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के लोक संपर्क विभाग ने यह दावा किया है कि सेना ने सभी हमलावरों जिनकी संख्या 40 के लगभग थी उन्हें घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बयान में यह भी दावा किया गया है कि इस हमले से पाकिस्तानी सैनिक अड्डे को कोई विशेष क्षति नहीं हुई है। इमरान खान ने यह दावा किया है कि इस हमले की योजना अफगानिस्तान में बैठे एक विदेशी ताकत के एजेंटों ने बनाई थी। मगर पाकिस्तान की बहादुर सेना ने अपने बहादुरों की परंपराओं को निभाते हुए इन विदेशी एजेंटों के हमलों को विफल बना दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ऐसे कारगर कदम उठा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जा सके। हम अपने दुश्मनों के नापाक मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

सियासत (6 फरवरी) ने यह दावा किया है कि 2022 का वर्ष शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पर हमलों में भारी तेजी आई है। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर और नूशकी में 3 फरवरी को हुए हमले में एक सैनिक अधिकारी और एक दर्जन सैनिक मारे जाने का दावा पाकिस्तान सरकार ने किया था। मगर बाद में मरने वालों की संख्या में सरकारी प्रवक्ता वृद्धि करता गया। सरकारी प्रवक्ता ने पहले 13 आक्रमणकारियों को मारने का दावा किया था। मगर बाद मं इनकी संख्या 40 बताई गई। समाचारपत्र ने यह दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूच लिब्रेशन आर्मी के द्वारा किया गया था, जिसके प्रमुख सेनापति बशीर जैब हैं। बलूच लिब्रेशन आर्मी के एक प्रवक्ता के अनुसार यह हमला उनके संगठन के मजीद ब्रिगेड ने किया था ओर यह सफल रहा है। इस हवाई अड्डे को भारी क्षति पहुंची है और राडार स्टेशन तबाह कर दिया गया है। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी मंत्रियों द्वारा इस हमले के पोछे पड़ोसी देशों का हाथ बताया जा रहा है। इस संदर्भ में अफगानिस्तान और ईरान का भी नाम लिया जा रहा है।

अफगानिस्तान को उसकी जमा पूंजी देने से अमेरिका का इंकार

समाचारपत्रों में काफी समय से इस तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे थे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के जिस फंड को रोक कर रखा है उसे मानवीय आधार पर शीघ्र ही वापस लौटा दिया जाएगा।

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि बाइडेन प्रशासन अब भी अफगानिस्तान की जमा पूंजी सात बिलियन डॉलर का आधा हिस्सा अदालती विवाद के कारण जारी नहीं कर सकता। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस फंड का आधा हिस्सा एक ट्रस्ट के हवाले किया जाएगा जो कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए अमेरिकी प्रशासन गठित करेगा। मगर इस आदेश

में यह भी कहा गया था कि प्रशासन को ऐसा करने के लिए अदालती अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। क्योंकि इस फंड का आधा हिस्सा अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले से प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवज के तौर पर दिया जाएगा। यह मामला अमेरिकी फेडरल कोर्ट में विचाराधीन है जिसमें मुआवजे की पूरी रकम की मांग की गई है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि हमें अदालती निर्देश का पालन करना होगा और इसलिए हमें इस धनराशि का कोई भी हिस्सा किसी को देने में कई महीने लग जाएंगे।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि यह मामला अब और भी जटिल हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। यहां यह भी प्रश्न उठता है कि क्या अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के फंड वास्तव में तालिबान के हैं। राजनीतिक दबाव के कारण अमेरिकी प्रशासन ने इस मामले के बारे में अदालत को कानूनी स्थिति से अवगत कराने का फैसला किया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की है कि अफगान बैंक की फ्रिज की गई साढ़े तीन अरब डॉलर की धनराशि 9/11 से प्रभावित परिवारों में बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह फैसला अफगान जनता पर जुर्म है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को इस आदेश को रद्द कर देना चाहिए। अफगानिस्तान के लोगों का धन रोकना या उनके फंड को जब्त करना सरासर अन्याय है, जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता।

एक अन्य समाचार में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे फंड रिलीज नहीं किए तो हम अमेरिका से संबंधित अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता इनामुल्लाह समांगानी ने कहा कि 9/11 के हमलों से अफगानिस्तान का कोई संबंध नहीं था। अमेरिका जानबूझकर अफगानों को भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा है। उसे अफगानिस्तान की संपदा का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है और यह इमारत-ए-इस्लामिया अफगानिस्तान के साथ हुए समझौते का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमारी संपूर्ण धनराशि फौरन वापस करनी चाहिए। हम किसी भी देश को अपनी संपत्ति को हडपने की अनुमति कभी नहीं देंगे।

पाकिस्तान में भीड़ द्वारा एक और व्यक्ति की हत्या

अवधनामा (14 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के सूबा पंजाब में पैगम्बर की तौहीन करने के कथित आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना पंजाब के जिला खानेवाल के तुलंबा में हुई। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल राव सरदार अली खान ने इस संपूर्ण घटना की रिपोर्ट पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार को पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के सिलसिले में 300 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें हत्या और आतंकवाद उन्मूलन कानून की धाराएं भी शामिल हैं। पाकिस्तान पुलिस अब तक इस संबंध में 62 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें मुख्य अभियुक्त भी शामिल हैं। पंजाब पुलिस सारे क्षेत्र में व्यापक छापेमारी कर रही है ताकि दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके।

पुलिस का कहना है कि इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनका सुराग लगाने के लिए राज्यभर में पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस के अनुसार तुलंबा के गांव जंगल डेरा में नमाज के बाद एक मस्जिद से यह ऐलान किया गया कि एक व्यक्ति ने कुरान के पृष्ठों को फाड़ दिया है, जिसके बाद सैकड़ों उत्तेजित लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया था। मगर उत्तेजक भीड़ ने उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। हालांकि वह बार-बार यह शोर मचा रहा था कि वह निर्दोष है और उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। भीड़ ने उसे एक वृक्ष से लटका दिया और बाद में ईंट मार-मारकर उसकी हत्या कर दी।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति या गिरोह को कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भीड़ द्वारा हिंसा को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जो पुलिस अधिकारी इस घटना को रोकने में विफल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी समाज में हिंसा और अतिवाद का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भीड़ की ओर से किसी भी व्यक्ति की हत्या करना निंदनीय है और मुसलमानों के हर वर्ग को इसकी निंदा करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

अमेरिका द्वारा आईएसआईएस के प्रमुख को मारने का दावा

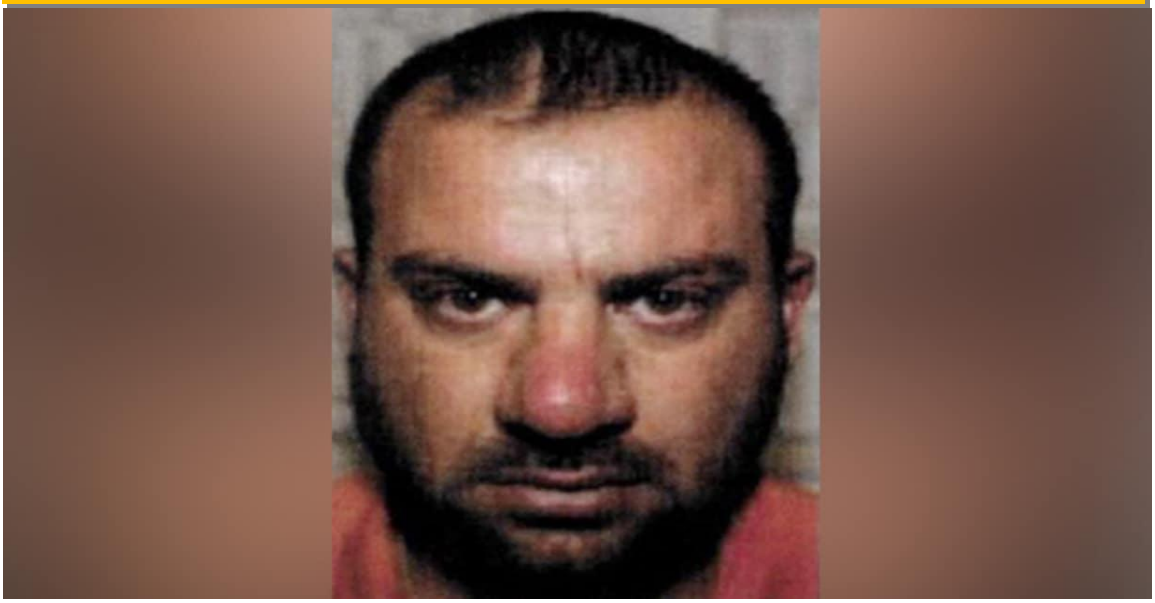

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी को मार दिया गया है। उसके साथ ही 14 अन्य व्यक्ति भी मारे गए हैं। राष्ट्रपति ने अमेरिकी फौज के आतंकवाद विरोधी दस्ते के इस मिशन के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि 2019 में अमेरिका के इसी विशेष दस्ते ने आईएसआईएस के संस्थापक अबु बकर अल-बगदादी की हत्या कर दी थी। इसके बाद अमेरिका का यह दूसरा बड़ा मिशन है, जिसमें इस आतंकवादी इस्लामिक संगठन का एक अन्य प्रमुख मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार अमेरिकी सैनिक के विशेष दस्ते और आईएसआईएस के आतंकवादियों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें 14 व्यक्ति मारे गए। इनमें चार महिला और छह बच्चे भी शामिल हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि इस हमले में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया है।

अवधनामा (4 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने यह घोषणा की है कि सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में विशेष फोर्स की कार्रवाई के दौरान आईएसआईएस के प्रमुख ने बम धमाके से अपने आपको और अपने परिवारजनों को उड़ा लिया। रायटर्स संवाद समिति की रिपोर्ट के अनुसार इससे पूर्व अमेरिका ने इस इस्लामिक संगठन के संस्थापक अबु बकर अल-बगदादी की हत्या कर दी थी। उसके बाद अबु इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी इस संगठन का प्रमुख बना। अल-हाशिमी अल-कुरैशी बहुत गुप्त तरीके से कार्य कर रहा था। उसने इस्लामिक खिलाफत का नया खलीफा होने का दावा किया था और उसकी खिलाफत में सीरिया और इराक के कई क्षेत्र शामिल थे। तीन वर्ष पूर्व इस संगठन को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी। मगर इसके बावजूद भी वह सीरिया और इराक में अमेरिका और उसके सहयोगी सैनिकों को अपना निशाना बनाता रहा। इन दिनों वह सीरिया के उत्तरी क्षेत्र इदलिब में

गुप्त रूप से रह रहा था। फ्रांसीसी संवाद समिति एएफपी के अनुसार अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने इन सारे इलाकों को घेर लिया था। 2019 के बाद अमेरिकी फौज की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी। अमेरिकी वायु सेना दो घंटे तक निरंतर इदलिब पर बम बरसाती रही। जब अल-कुरैशी चारों तरफ से घिर गया तो उसने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। इस कार्रवाई में 13 अन्य लोगों के मारे जाने का भी दावा किया गया है, जिनमें सात इराकी नागरिक भी शामिल हैं। एएफपी के रिपोर्टर ने अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का निशाना बनने वाले घरों का भी निरीक्षण किया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनकर वे उठे और उसके बाद उन्होंने अनेक धमाकों की आवाज सुनी। अमेरिकी फोर्सेस यह घोषणा कर रहे थे कि हमें आम नागरिकों से कुछ लेना-देना नहीं। हम तो आपको आतंकवादियों से बचाने के लिए सिर्फ उनके मकान की ओर जा रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 फरवरी) के अनुसार अमेरिका के एक सैनिक प्रवक्ता ने दावा किया है कि अल-हाशिमी अल-कुरैशी को अमेरिकी सेना ने आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया था मगर उसने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण करने की बजाय स्वयं को अपने परिवार सहित धमाके स उड़ा लिया। मरने वालों में अल-कुरैशी की पत्नी और उसके दो बच्चे भी शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि डीएनए टेस्ट से हम अल-कुरैशी के मरने की पुष्टि कर चुके हैं।

इत्तेमाद (3 फरवरी) के अनुसार इराकी पुलिस ने आईएसआईएस के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसके पहले इस संगठन ने बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने रॉकेटों का निशाना बनाया था। इस हमले में कोई जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। इराक के पुलिस प्रमुख के अनुसार किरकुक के दक्षिण में सेना और पुलिस ने आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस प्रवक्ता अमीर नूरी के अनुसार रशाद नामक कस्बा में तलाशी के दौरान काफी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है और इस संगठन से जुड़े हुए अनेक लोगों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि इस संगठन ने जून 2014 में इराक के कई नगरों मोस्ल, सलाहुद्दीन, दियाला और किरकुक के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में अमेरिकी सेना ने इनमें से अधिकांश क्षेत्रों को मुक्त करवा लिया। मगर फिर भी इस संगठन के हमले जारी हैं।

अवधनामा (5 फरवरी) के अनुसार इराकी सेना ने यह घोषणा की है कि आईएसआईएस के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में अब तक दर्जनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 'अनादोलु' संवाद समिति की रिपोर्ट के अनुसार इराकी सेना के प्रमुख ने यह घोषणा की है कि गत दस दिनों में सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और यह अभियान अभी तक जारी है। उन्होंने कहा कि इराकी सेना को यह कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इराक के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में इस संगठन के हमले बहुत तेज हो गए थे। 'मेहर' संवाद समिति के अनुसार गुप्तचर सूत्रां ने आईएसआईएस के कैडर के बारे में इराकी सेना को जो सटीक जानकारी दी थी उसके बाद यह कार्रवाई सफल हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी भी तरह की आतंको गतिविधि को अपनी जमीन पर सहन नहीं करेंगे।

सियासत (12 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका के हाथों आईएसआईएस के प्रमुख इब्राहिम अल-हाशिमी की हत्या ऐसे समय में हुई जब यह आतंकवादी संगठन इराक और सीरिया में फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने यह दावा किया था कि उसने अबु बकर अल-बगदादी की हत्या करके इस्लामिक स्टेट की कमर तोड़ दी है मगर इसके बावजूद अभी तक इस्लामिक स्टेट का वजूद इराक और सीरिया के विभिन्न नगरों में

है। आईएसआईएस का दावा है कि दुनिया के विभिन्न देशों में उसकी शाखाएं कायम हैं। अफगानिस्तान और पश्चिमी अफ्रीका में उसकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है और एशिया में आईएसआईएस अपने पैर तेजी से पसार रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि अभी तक इस संगठन को कुचलने में अमेरिका विफल रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका ने इब्राहिम अल-हाशिमी नामक जिस व्यक्ति की हत्या का दावा किया है वह असली खलीफा नहीं है इसलिए उसकी मौत से आईएसआईएस की गतिविधियां समाप्त नहीं होंगी। यह बात विचित्र है कि बगदादी और अल-कुरैशी दोनों इदलिब में अपना ठिकाना बनाए हुए थे और सीरिया इस पर बार-बार कब्जा करने क प्रयास में विफल रहा है। यह क्षेत्र इस समय अबु मोहम्मद अल-जुलानी के नियंत्रण में है जो कि अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इसे 2013 में अल-बगदादी ने सीरिया भेजा था। इसने सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत की और अलकायदा के कदम जमाए। अगर इस क्षेत्र पर जिहादियों का नियंत्रण रहा तो भविष्य में कई बगदादी और कुरैशी पैदा होंगे। जो लोग सीरिया में बशर अल-असद की शिया सरकार का तख्ता पलटने के लिए संघर्षशील हैं उन्हें इस्लामिक स्टेट का समर्थन प्राप्त है। मगर अभी तक वे अपने लक्ष्य में इसलिए सफल नहीं हो सके क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को रूस का समर्थन प्राप्त रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निष्कासन और वहां पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह भय व्यक्त किया जा रहा था कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी तालिबान के लिए समस्या पदा करेंगे। मगर अभी तक उन्होंने तालिबान के रास्ते में कोई रूकावट पैदा नहीं की।

अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया

इंकलाब (6 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने 2015 में विश्व परमाणु समझौते के तहत ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें हटाने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें हटा लिया गया है। वियना में होने वाली बातचीत से पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने विभिन्न पाबंदियों के खात्मे से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि 2015 में अमेरिका और यूरोप के कई अन्य देशों के दबाव पर ईरान के परमाणु विकास

कार्यक्रम के बारे में एक समझौता किया था मगर बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में इस समझौते से स्वयं को अलग कर लिया। अमेरिकी विदेश

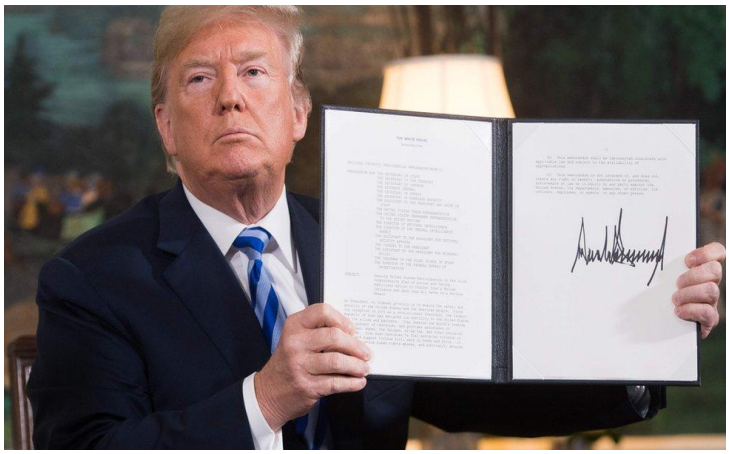

मंत्रालय का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईरान के साथ वियना में जो बातचीत चल रही है वह सफल हो सके। इन प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद विदेशी कंपनियों को ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अराक के हैवी वाटर प्लांट और तेहरान के परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने की अनुमति मिल गई है।

गौरतलब है कि 2018 में ट्रम्प के एकपक्षीय रूप से इस समझौते से निकल जाने के बाद ईरान ने भी इस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था और उसने अपने विभिन्न परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम संवर्धन करने की मात्रा में वृद्धि कर दी थी। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए होता है। विश्व प्रारंभ से ही इस बात के लिए ईरान पर दबाव डालता आ रहा है कि वह परमाणु ऊर्जा का विकास सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में ही करे। ईरान ने यह घोषणा की थी कि वह उस समय तक वियना वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक अमेरिका उस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा नहीं करता।

अवधनामा (3 फरवरी) के अनुसार ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा का विकास करना देश के विकास के लिए जरूरी है। मोहम्मद इस्लामी ईरान की इस्लामिक क्रांति की 43वीं सालगिरह के मौके पर ईरानी टेलीविजन पर भाषण दे रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह के परिवारजनों से मुलाकात की। इस ईरानी वैज्ञानिक को इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मासाद ने मौत के घाट उतार दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 फरवरी) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ईरान के परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तृत बातचीत की। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि ईरान की ओर से परमाणु ऊर्जा का जो विकास किया जा रहा है वह इजरायल के लिए जबर्दस्त खतरा है। क्योंकि ईरान किसी भी समय इजरायल को अपने परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निशाना बना सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा का विकास करने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि ईरान इजरायल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।

कौमी तंजीम (6 फरवरी) ने अपने संपादकीय में अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का स्वागत किया है और कहा है कि ईरान को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा को विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समाचारपत्र का दावा है कि ईरान ने इस संदर्भ में जो कड़ा रूख अपनाया था उसके कारण अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं।

इंकलाब (7 फरवरी) के अनुसार ईरान ने अमेरिका द्वारा पाबंदी हटाए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि हालांकि यह सही दिशा में कदम है मगर यह काफी नहीं है। यह सब कागजों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हूतियों का हमला

इंकलाब (12 फरवरी) के अनुसार सऊदी सेना ने यह दावा किया है कि उसने सीमा पर स्थित अबहा हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों को विफल बना दिया है। इस ड्रोन का मलबा गिरने से हालांकि एक दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। सऊदी सरकार ने यह दावा किया है कि इस ड्रोन को हमले से पहले ही मिसाइल से तबाह कर दिया गया था। यह पहला अवसर नहीं है जब इस हवाई अड्डे को हूतियों ने अपना निशाना बनाया हो। बल्कि इससे पहले भी वे इस तरह के कई हमले कर चुके हैं। हूतियों के प्रवक्ता ने एक ट्विट में इस हमले की जिम्मेवारी लेते हुए कहा है कि सऊदी अरब द्वारा यमन पर हमले के लिए जिन हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी जगहों से दूर रहें।

गौरतलब है कि हूतियों और सऊदी गठजोड़ का संघर्ष गत कई वर्षों से चल रहा है और अब तक इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हाल के वर्षों में यमन के विद्रोहियों ने इस गठबंधन के एक अन्य महत्त्वपूर्ण देश संयुक्त अरब अमीरात को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस हमले में जख्मी होने वाले में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, फिलीपींस और श्रीलंका के नागरिक भी शामिल हैं।

इत्तेमाद (4 फरवरी) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि उसने हूतियों के चौथे हमले को भी विफल बना दिया है। हूतियों के चार ड्रोन उसकी वायु सीमा में दाखिल हुए थे। डॉन में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इस हमले की जिम्मेवारी हूतियों के 'प्रॉमिस ब्रिगेड' ने लो है। यह पहला अवसर है कि इस समूह ने संयुक्त अरब अमीरात पर होने वाले हमलों की जिम्मेवारी ली हो। संयुक्त अरब अमीरात क रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि व किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और देश की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अमेरिका ने यह घोषणा की है कि इन ताजा हमलों के बाद अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात की सहायता के लिए अपने लड़ाकू विमान वहां भेज रहा है ताकि हूतियों के हमलों से इस सहयोगी देश की रक्षा की जा सके। गौरतलब है कि इससे पूर्व तीन बार हूती

विद्रोही संयुक्त अरब अमीरात पर हमला कर चुके हैं, जिसमें अब तक दो दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं।

सियासत (4 फरवरी) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात पर हूतियों के हमले के बाद अमेरिका ने अपने जलयानों को भी संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा के लिए भेज दिया है। अमेरिका ने यह कदम अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के अनुरोध पर उठाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की सहायता के लिए जो अमेरिकी जलयान भेजे गए हैं वे गाइडड मिसाइलों से लैश हैं। अमेरिकी दूतावास ने यह स्पष्ट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका हर तरह की सहायता प्रदान करेगा और अमेरिका अपने इस रणनीतिक साझेदार के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। इजरायल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के बाद हूतियों ने इस देश को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इन हमलों को जारी रखने की घोषणा की है।

हमारा समाज (3 फरवरी) के अनुसार यमन में सऊदी गठबंधन की सेनाओं के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मतलाक बिन सलेम ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए जो भी कदम उठाए थे उसका जवाब ईरान समर्थक हूतियों ने जंगी

कार्रवाईयों से दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने आठ महीने तक निरंतर शांति को बनाए रखा। मगर इसके बावजूद हूती विद्रोहियों ने हमारी शांति स्थापना के हर प्रयास में पलीता लगाया। हूतियों ने नागरिक ठिकानों और नागरिकों पर सौ से ज्यादा मिसाइल दागे और ड्रोनों से नागरिकों को निशाना बनाया। 52 जलयानों पर हमले किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अबहा हवाई अड्डे और नजारान हवाई अड्डे को अपना निशाना बनाया। रियाद और दम्माम में पेयजल संयंत्रों को भी उन्होंने तबाह करने की कोशिश की। अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है।

इराक में न्यायाधीशों का कत्लेआम

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 फरवरी) के अनुसार इराक में आतंकवादियों ने न्यायाधीशों को मारने का सिलसिला तेज कर दिया है। 2003 के बाद अब तक सैकड़ों न्यायाधीशों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसी महीने में दक्षिणी इराक में स्थित मयसान मं एक जज अहमद फैजल अल-सादी को इस्लामिक आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। गत पांच वर्षों में 74 न्यायाधीशों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जिन न्यायाधीशों को निशाना बनाया जा रहा है उनमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी कानून का उल्लंघन करने वाले मुकदमों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश शामिल हैं। इराक की सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने अरेबिया.कॉम को बताया है कि इराक सरकार ने न्यायाधीशों को कारगर सुरक्षा प्रदान करने का

फैसला किया है ताकि आतंकवादी और तस्करों के हमलों से न्यायाधीशों की रक्षा की जा सके। हम चाहते हं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और उस पर किसी तरह का दबाव न हो ताकि कानून को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि इराक की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के नेताओं के खिलाफ क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे इसलिए न्यायाधीशों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है।

बहरीन का इजरायल के साथ सुरक्षा समझौता

अवधनामा (4 फरवरी) के अनुसार बहरीन और इजरायल में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच सुरक्षा से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में इजरायल के रक्षा मंत्री बेन्नी गैंट्ज ने बहरीन का दौरा किया था। गौरतलब है कि 2020 में अमेरिकी दबाव पर बहरीन ने इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने की विधिवत घोषणा की थी जिसकी अरब जगत में काफी आलोचना हुई थी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच गुप्तचर सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ सैन्य मामलों में भी सहयोग किया जाएगा। यह संधि इजरायल की इस क्षेत्र में अपने ढंग की अनूठी है। इस संदर्भ में काफी समय से अधिकारियों की बातचोत चल रही थी। इजरायल के रक्षामंत्री ने बहरीन में स्थित अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े के मुख्यालय का भी दौरा किया और कहा कि बहरीन को जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि हम अपने दोस्तों के साथ रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ बनाएं।

सियासत (16 फरवरी) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने अचानक बहरीन का दौरा किया और बहरीन के शाह और युवराज से आपसी हितों के बारे में लंबी बातचीत की। इस दौरे का महत्व इसलिए भी बहुत है कि इस क्षेत्र में ईरान अपनी परमाणु क्षमता को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात पर हूतियों के हमले के कारण इस क्षेत्र में ईरानी हमले का खतरा पहले से अधिक बढ़ गया है।

सहाफत (11 फरवरी) के अनुसार ईरान ने पहली बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का तेहरान में परीक्षण किया है, जिसका नाम 'खैबर शिकन' रखा गया है। इस मिसाइल की क्षमता 15 हजार किलोमीटर तक मार करने की है। ईरान ने दावा किया है कि इस मिसाइल के द्वारा ईरान जब चाहे अपने दुश्मन इजरायल को निशाना बना सकता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के समय ईरान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद बाघेरी और ऐरो स्पेस फोर्स के प्रमुख अमीर अली हाजीजादेह भी मौजूद थे। ईरानी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इजरायल ने लौह कवच का जो दावा किया हुआ है उसे यह मिसाइल चकनाचूर कर सकता है। ऐसे मिसाइल भारी संख्या में ईरान के पास मौजूद हैं। इससे पूर्व ईरान ने अपने सैनिक अभ्यासों में 16 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिन्हें इजरायल के लिए चेतावनी बताया गया था। ईरान की पश्चिमी सीमा से इजरायल की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान रक्षा उपकरणों की तैयारी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और अगर अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए जाएं तो हम दुनिया के अनेक देशों को अपने बनाए हुए अस्त्र-शस्त्र सप्लाई कर सकते हैं।

अन्य

दरगाह की 60 हजार करोड़ की भूमि का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में

इत्तेमाद (9 फरवरी) के अनुसार हैदराबाद की दरगाह हजरत हसन शाह वली की भूमि के अधिग्रहण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में अपील की जाएगी। यह जानकारी देते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा कि दरगाह की 1654 एकड़ भूमि के बारे में वक्फ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। अब सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने बोर्ड के खिलाफ फैसला दिया है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ भूमि से संबंधित गजट को अवैध घोषित किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला वक्फ बोर्ड के हित में नहीं है। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह वक्फ भूमि है और इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

इत्तेमाद ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड अपने दावे को उच्च न्यायालय में सही ढंग से पेश नहीं कर सका। रिकॉर्ड के अनुसार यह सिद्ध होता है कि जो भूमि दरगाह की बताई जाती है वह ईनामी जागीर है और जागीरों के खात्मे के कानून के बाद इस भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी भूमि को वक्फ करार देने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वे इस मामले में नहीं अपनाए गए। सिर्फ समाचारपत्र में विज्ञापन देना ही काफी नहीं है। इसलिए यह भूमि राज्य सरकार की है। इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज में चिंता की लहर दौड़ गई है और उनमें यह भय पैदा हो रहा है कि कहीं इस फैसले का सहारा लेकर मुसलमानों को वक्फ संपत्ति से वंचित न कर दिया जाए। समाचारपत्र के अनुसार निजाम अफजल-उद-दौला ने 17वीं सदी के विख्यात सूफी संत हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह के लिए 1898 एकड़ भूमि दान दी थी, जिसे 1935 में वक्फ के तहत लाया गया। 1949

में यह विवाद शुरू हुआ। जब आंध्र प्रदेश में एक सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट गजट में प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया कि मनिकुंडा में इस दरगाह की अपनी भूमि सिर्फ एक एकड़ है। 2001-2004 तक तेलगु देशम पार्टी और बाद में कांग्रेस सरकार ने इस बेशकीमती भूमि को विभिन्न संस्थानों को आवंटित कर दिया। इस तरह से दरगाह शरीफ की इस वक्फ भूमि का 80 प्रतिशत हिस्सा सरकार बेच चुकी है। जब यह विवाद उच्च न्यायालय में पहुंचा तो उसने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया, जिसे सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उमर गौतम की जमानत मंजूर

मुंबई उर्दू न्यूज (12 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए इस्लामिक प्रचारक उमर गौतम को जमीयत उलेमा की कानूनी टीम के प्रयासों से जमानत पर रिहाई मिल गई है। समाचारपत्र के अनुसार नूरुल हादी इंगलिस मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाली एक अध्यापिका ने हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाने के बारे में थाना कोतवाली फतेहपुर में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने धमांतरण विरोधी कानून के तहत मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया था। जमीयत उलेमा

महाराष्ट्र के कानूनी सचिव ने कहा है कि मौलाना को इस झूठे मुकदमे से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी।

सद्दाम के 100 से अधिक महलों की हालत

सियासत (7 फरवरी) के अनुसार अपने सत्ताकाल में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने दर्जनों महल बनवाए थे। मगर आज उनमें से अधिकांश या तो मलबे का ढेर बन चुके हैं या उनमें सैनिक अड्डे हैं। समाचारपत्रों के अनुसार इन महलों की संख्या 100 से अधिक बताई जाती है जो कि सात राज्यों में स्थित हैं। इनमें से अधिकांश बगदाद और सद्दाम के पैतृक नगर तिकरित में हैं। 2003 में अमेरिकी हमले के बाद इनमें से अधिकांश महल या तो ध्वस्त कर दिए गए या इन्हें फौजी अड्डों में बदल दिया गया। इराक सरकार अब इनमें से कुछ महलों को लग्जरी होटल बनाने पर विचार कर रही है।

बहरीन में मंदिर बनाने की घोषणा

सियासत (4 फरवरी) के अनुसार बहरीन ने राजधानी मनामा में हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति दे दी है। यह मंदिर गुजराती संस्थान स्वामी नारायण संस्था की ओर से बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि बहरीन की सरकार ने इस मंदिर के निर्माण की अनुमति भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे में दी थी। इस परियोजना की निगरानी धर्माचार्य ब्रह्मविहारी स्वामी कर रहे हैं।

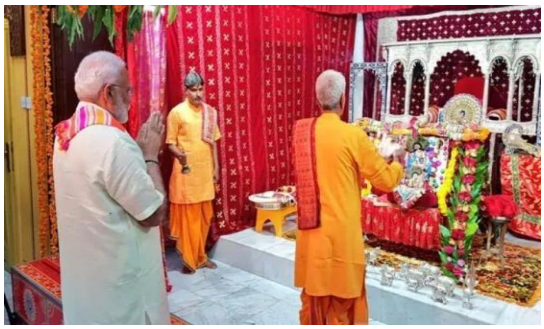

इस मंदिर परिसर में मंदिर के अतिरिक्त उपासना हॉल, पुस्तकालय, सामुहिक केंद्र, ओपन एयर थियेटर, पुस्तकों की दकानें और फूड कोर्ट आदि होंगे।

गौरतलब है कि बहरीन में एक बड़ा रोमन कैथोलिक गिरजाघर भी खुल चुका है, जिसका उद्घाटन पोप ने अपने दौरे के दौरान किया था। इस गिरजाघर में ढ़ाई हजार लोग बैठ सकते हैं और यह राजधानी मनामा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है।

कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ प्रचार

मुंबई उर्दू न्यूज (6 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की आर से गत सप्ताह कश्मीर एकता दिवस उनके विभिन्न दूतावासों में मनाया गया और उसमें भारत सरकार के खिलाफ खूब जहरीला प्रचार किया गया। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भारत के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने विश्व भर में फैले हुए अपने दूतावासों को यह निर्देश दिया था कि 10 फरवरी को प्रत्येक दूतावास में कश्मीर दिवस मनाया जाया और कश्मीर के मामले को मीडिया में जोरदार ढंग से उठाया जाए। हैरानी की बात यह है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए चिंता की नौटंकी करने वाला पाकिस्तान चीन मं उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर मूकदर्शक बना हुआ है और उसने इस चीन का आंतरिक मामला करार दिया है।

मक्का में 80 लाख आब–ए–ज़मज़म की बोतलें वितरित

इत्तेमाद (13 फरवरी) के अनुसार मक्का में चालू हिज्री वर्ष की पहली छमाही में पवित्र आब-ए-ज़मज़म को 80 लाख बोतलें विभिन्न देशों के मुसलमानों में वितरित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक बोतल में 200 मिलीलीटर आब-ए-ज़मज़म होता है। गौरतलब है कि मुसलमानों में आब-ए-ज़मज़म को गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है। ज़मज़म नामक कुएं की शुरुआत हजरत इब्राहिम द्वारा की गई थी। सऊदी सरकार ने हज और उमराह के अवसर पर आने वाले मुस्लिम यात्रियों को बोतल बंद आब-ए-ज़मज़म उपलब्ध कराने की एक व्यापक योजना बनाई है। इस लक्ष्य से मस्जिद अल-हरम, मक्का और मस्जिद-ए-नबवी, मदीना में दो स्मार्ट रोबोट लगाए गए हैं जो कि यात्रियों को आब-ए-ज़मज़म वितरित करेंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

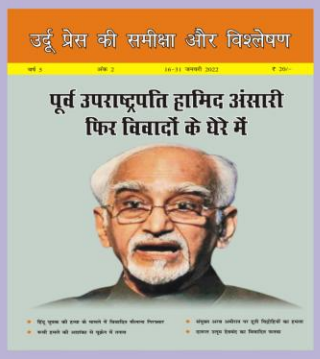

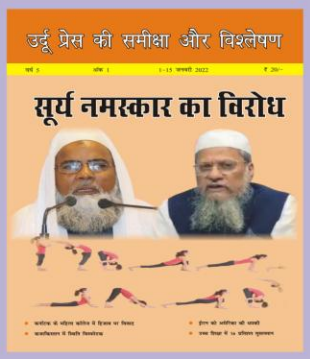

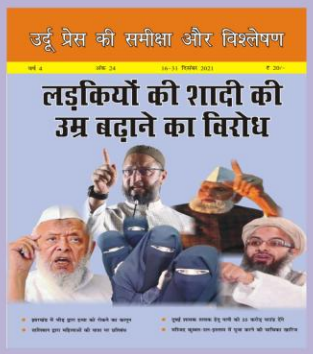

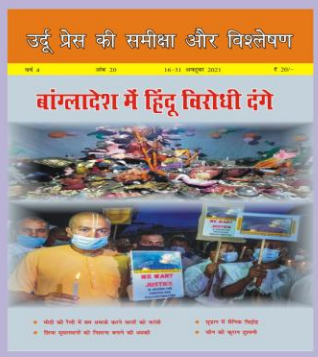

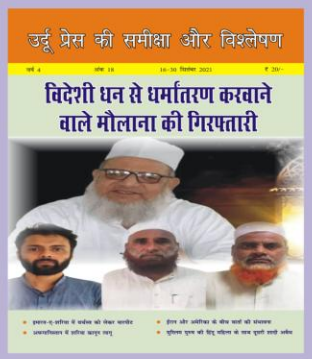

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in